न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/89/2021	08–10–2021	20–09–2022

01– देवकरण पुत्र श्योसहाय गुर्जर जाति गुर्जर निवासी थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर ।

–: अपीलाण्ट

बनाम

01– सरकार जर्ये तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर।

–: रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार थानागाजी दिनांक 04.10.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 421/2017

उपस्थितः–

01–श्री राजेश कुमार गुप्ता –वकील अपीलाण्ट
02–श्री दीपक मीना –राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0–1

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार थानागाजी के आदेश दिनांक 04.10.2017 प्रकरण संख्या 421/2017 जिसके द्वारा सम्वत 2074 में अपीलान्ट को थानागाजी की आराजी खसरा नम्बर 2739 रकबा 11.06 है0 में से 0.80 है0 किस्म गै0मु0 बेहड में बाजरा एवं आराजी खसरा न0 2779 रकबा 11.57 है0 में से रकबा 0.35 है0 किस्म गै0मु0 बेहड में बाजरा की फसल काश्त कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने पर की गई बेदखली/पैनल्टी/2 माह का सिविल कारावास की सजा से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलांट उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 2739 रकबा 0.80 है0 किस्म गै0मु0 बेहड वाके ग्राम थानागाजी पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नही है, पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व दूषित भावना से ग्रसित होकर दीगर शख्सो के बहकावे में तहत न्यायालय शिकायती प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिस पर तहत अदालत द्वारा समुचित गौर न करते हुये आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो अपास्त व अभिखण्डित फरमाये जाने योग्य है। प्रकरण में वर्णित आराजी खातेदारी की आराजी से लगती हुई आराजी है, जिस आराजी पर अतिक्रमण बाबत अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई पैमाईश नही की गयी है। महज हल्का पटवारी के कयासिया बयानात के आधार पर उक्त रकबे पर अतिक्रमण होना माना है, जो खिलाफ कानून है। तथा पूर्व अतिक्रमण साबित करने वास्ते पूर्व निर्णयो की सत्यापित प्रतिलिपि पत्रावली कानून पेश करनी होती है। तहत अदालत तहसीलदार

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

थानागाजी के आदेश दिनाक 04.10.2017 सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 22.10.2018 को उस समय हुई जब गांव के जानकार शख्स ने अपीलान्ट को बताया कि अपीलान्ट के विरूद्व तहसीलदार थानागाजी से आदेश पारित हुए है। जिस पर प्रार्थी द्वारा तुरन्त अधिनस्थ न्यायालय में स्वय के विरूद्व पारित किये गये आलोच्य आदेश की जानकारी जरिये अधिवक्ता हुई एवं आलोच्य आदेश की प्रति हेतु आवेदन दिनाक 22.10.2018 को किया गया जिस पर आलोच्य आदेश की नकल दिनाक 25.10.2018 को प्राप्त हुयी। जिस पर तुरन्त अपील बिना किसी देरी के पेश की है। आलोच्य आदेश दिनाक 04.10.2017 से जानकारी दिनांक 22.10.2018 तक का समय लाईल्मी होने के कारण कण्डोन फरमाये जाने योग्य है, जिस हेतु दफा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पेश पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत अदालत का आदेश दिनाक 04.10.2017 निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक उपस्थित। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया है, कि तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय विधिवत कार्यवाही कर पारित किया गया है, पारित निर्णय न्यायोचित प्रक्रियानुसार है, किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नही होता है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.10.2017 के विरूद्व न्यायालय हाजा को दिनाक 31.10.2018 को पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 04.10.2017 की जानकारी अपीलान्ट को दिनाक 22.10.2018 को होना अंकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि आराजी खसरा न0 2739 रकबा 0.80 है0 किस्म गै0मु0 बेहड वाके ग्राम थानागाजी पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नही है, पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व दूषित भावना से ग्रसित होकर दीगर शख्सो के बहकावे में तहत न्यायालय शिकायती प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर तहत अदालत द्वारा समुचित गौर न करते हुये आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो अपास्त व अभिखण्डित फरमाये जाने योग्य है। प्रकरण में वर्णित आराजी खातेदारी की आराजी से लगती हुई आराजी है। जिस आराजी पर अतिक्रमण बाबत अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई पैमाईश नही की गयी है। महज हल्का पटवारी के कयासिया बयानात के आधार पर उक्त रकबे पर अतिक्रमण होना माना है, जो खिलाफ कानून है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया पटवारी हल्का थानागाजी द्वारा दिनांक 12.09.2017 को सम्वत 2075 में आराजी खसरा नम्बर 2739 रकबा 11.06 है0 में से 0.80 है0 किस्म गै0मु0 बेहड में बाजरा व आराजी खसरा न0 2779 रकबा 11.57 है0 में से रकबा 0.35 है0 किस्म गै0मु0 बेहड में बाजरा की फसल काश्त कर (पश्चातवर्ती) अतिक्रमण किये जाने पर रिपोर्ट तहत अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी को **धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी कर दिनाक 29.09.2017 को तलब किया गया, अतिक्रमी तहत अदालत के समक्ष उपस्थित होकर जवाब पेश नही किया/कब्जा होना स्वीकार किया गया। पटवारी हल्का के बयान दर्ज किये गये। पटवारी हल्का के बयान के अनुसार** थानागाजी की आराजी खसरा नम्बर 2739 व खसरा न0 2779 किस्म गै0मु0 वेहड में बाजरा की फसल काश्त कर अतिक्रमी देवकरण पुत्र श्योसहाय गूर्जर के विरूद्व **धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत सम्वत 2074 में फसल खरीफ में** पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने पर रिपोर्ट पेश की गयी है, उक्त अतिक्रम पश्चातवर्ती

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

अतिक्रमण है, जिसे पूर्व में भी उक्त आराजी से वैदखल किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट से अपीलार्थी का अतिक्रमण/पश्चातवर्ती साबित होता है। वर्णित किस्म गै0 मु0 बेहड राजकीय भूमि है। जिस पर किसी को अतिक्रमण किये जाने का कोई अधिकार नही है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 04.10.2017 यथावत रखा जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर की कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20.09.2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)